



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 603]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 28, 2018/भाद्र 6, 1940

No. 603]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 28, 2018/BHADRA 6, 1940

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 818(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप नियम (1) एवं (2) के साथ पठित और 2018 की रिट याचिका (सी) 4817 में दिनांक 21.08.2018 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुपालन में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एवं सभी संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के परामर्श से केंद्र सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियम, 1955 में संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है अर्थात्:-

1. (i) इन विनियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) द्वितीय संशोधन नियमावली, 2018 कहा जाएगा।

(ii) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में, "एजीएमयूटी" शीर्षक और इनसे संबंधित आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित, प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

" अरूणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एवं सभी संघ राज्य क्षेत्र

अरूणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम एवं संघ राज्य क्षेत्र के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद	219
---	-----

(i) अरूणाचल प्रदेश सरकार के अधीन पद : 42

मुख्य सचिव	1
आयुक्त, कृषि उत्पादन एवं संबद्ध गतिविधियां	1
प्रधान सचिव (वित्त)	1
प्रधान सचिव (गृह एवं सतर्कता)	1

आयुक्त-सह-सचिव (पीडब्ल्यूडी/आरडब्ल्यूडी)	1
आयुक्त-सह-सचिव (शिक्षा)	1
आयुक्त-सह-सचिव (ऊर्जा एवं जल संसाधन)	1
आयुक्त-सह-सचिव (कार्मिक)	1
आयुक्त-सह-सचिव (स्वास्थ्य)	1
आयुक्त, उद्योग एवं श्रम मामले	1
मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव	1
सचिव (आपूर्ति एवं परिवहन)	1
सचिव (ग्रामीण विकास)	1
राज्यपाल के सचिव	1
पंजीयक, सहकारी समितिया	1
निदेशक (परिवहन)	1
निदेशक, नागरिक आपूर्ति	1
निदेशक (शिक्षा)	1
निदेशक (स्वास्थ्य सेवाएं)	1
रेजीडेंट कमीशनर	1
उपायुक्त (जिला)	22

(ii) गोवा सरकार के अधीन पद : 23

मुख्य सचिव	1
प्रधान सचिव (पीडब्ल्यूडी)	1
आयुक्त/सचिव (वित्त)	1
आयुक्त/सचिव (शिक्षा एवं स्वास्थ्य)	1
आयुक्त/सचिव (उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य, खनन)	1
राज्यपाल के सचिव	1
मुख्य मंत्री के सचिव	1
सरकार के सचिव	6
आयुक्त (वैट)	1
उद्योग एवं खनन निदेशक	1
समाहर्ता/जिला मजिस्ट्रेट	2
उत्पाद आयुक्त	1
निदेशक (शिक्षा)	1
निदेशक (पर्यटन)	1
रेजीडेंट कमीशनर	1
परिवहन निदेशक	1
निदेशक, सतर्कता	1

(iii) मिजोरम सरकार के अधीन पद : 32

मुख्य सचिव	1
विकास आयुक्त	1
आयुक्त एवं सचिव (वित्त)	1
आयुक्त एवं सचिव (राजस्व)	1
आयुक्त एवं सचिव (गृह)	1
आयुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)	1
आयुक्त एवं सचिव (शिक्षा)	1

सचिव	4
राज्यपाल के सचिव	1
मुख्य मंत्री के सचिव	1
पंजीयक, सहकारी समितियां	1
विशेष सचिव	3
निदेशक (खाद्य एवं आपूर्ति)	1
निदेशक (उद्योग)	1
निदेशक (शिक्षा)	1
उपायुक्त (जिला)	8
रेजीडेन्ट कमीशनर	1
निदेशक, एटीआई	1
निदेशक, समाज कल्याण	1
निदेशक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा	1

(iv) अंडमान और निकोबार सरकार के अधीन पद : 15

मुख्य सचिव	1
विकास आयुक्त	1
आयुक्त-सह-सचिव (वित्त)	1
आयुक्त-सह-सचिव (शिपिंग और परिवहन)	1
उप राज्यपाल के सचिव	1
उप आयुक्त (जिला)	3
सचिव (कार्मिक)	1
सचिव (पर्यटन)	1
सचिव (स्वास्थ्य)	1
सचिव (शिक्षा)	1
सचिव (आरडी/एलएसजी एंड पीडब्ल्यूडी)	1
रेजीडेन्ट कमीशनर	1
सचिव (राजस्व, कृषि/मत्स्य पालन/एएच एवं वीएस/जनजाति कल्याण)	1

(v) चंडीगढ़ प्रशासन के अधीन पद : 09

चंडीगढ़ प्रशासक के सलाहकार	1
सचिव (गृह)	1
सचिव, (वित्त)	1
उपायुक्त (जिला)	1
संयुक्त सचिव (वित्त)	1
सचिव	2
अपर सचिव	1
अपर उपायुक्त	1

(vi) दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव सरकार के अधीन पद : 6

विकास आयुक्त	1
वित्त सचिव	1
समाहर्ता/जिला मजिस्ट्रेट (दमन, दीव और दादरा एवं नागर हवेली)	3
सचिव (शिक्षा)	1

(vii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधीन पद : 75

मुख्य सचिव	1
------------	---

वित्त आयुक्त	1
प्रधान सचिव (गृह)	1
प्रधान सचिव (वित्त)	1
प्रधान सचिव (शहरी विकास)	1
प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)	1
प्रधान सचिव (लोक निर्माण विभाग)	1
प्रधान सचिव (परिवहन)	1
प्रधान सचिव (शिक्षा)	1
अध्यक्ष, डीएसएसएसबी	1
उपराज्यपाल के प्रधान सचिव	1
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	1
प्रधान सचिव (कार्मिक एवं प्रशिक्षण)	1
प्रधान सचिव (जीएडी एंड एआर)	1
अध्यक्ष, एनडीएमसी	1
आयुक्त-सह-सचिव (पर्यावरण तथा वन एवं गैर-परंपरागत ऊर्जा)	1
आयुक्त-सह-सचिव (कला एवं संस्कृति)	1
आयुक्त एवं सचिव (विकास)	1
आयुक्त एवं सचिव (उद्योग)	1
आयुक्त एवं सचिव (खाद्य एवं आपूर्ति)	1
आयुक्त एवं सचिव (योजना एवं आधारभूत संरचना)	1
आयुक्त एवं सचिव (आई एंड एफसी)	1
प्रभागीय आयुक्त-सह-सचिव (राजस्व)	1
निदेशक, सतर्कता	1
निदेशक, शिक्षा	1
आयुक्त (व्यापार एवं कर)	1
आयुक्त-सह-सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)	1
आयुक्त-सह-सचिव (उच्च शिक्षा एवं टीटीई)	1
आयुक्त-सह-सचिव (समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास)	1
आयुक्त (कर एवं मनोरंजन)	1
सचिव-सह-श्रम आयुक्त	1
विशेष आयुक्त (परिवहन)	1
विशेष आयुक्त (व्यापार एवं कर)	2
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	1
महा निरीक्षक पंजीयन (राजस्व विभाग)	1
पंजीयक, सहकारी समिति	1
निदेशक (प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा)	1
निदेशक (उच्च शिक्षा)	1
सीईओ (आपदा प्रबंधन)	1
आयुक्त-सह-सचिव (वित्त)	1
आयुक्त-सह-सचिव (विद्युत)	1
आयुक्त, नगर निगम	3
उपायुक्त (जिला)	6
प्रशिक्षण निदेशक (यूटीसीएस)	1
समाजिक कल्याण निदेशक	1
कृषि विपणन निदेशक	1
विशेष सचिव (वित्त)	1
अपर शिक्षा निदेशक (प्रशासन)	1
विशेष सचिव (स्वास्थ्य)	1
विशेष सचिव (कार्मिक)	1

विशेष सचिव (एनसीआर)	1
विशेष सचिव (शहरी विकास)	1
विशेष सचिव (लोक निर्माण विभाग)	1
उप राज्यपाल के विशेष सचिव	1
निदेशक, महिला एवं बाल विकास	1
विशेष सचिव (गृह)	1
विशेष आयुक्त (खाद्य सुरक्षा)	1
विशेष सचिव (विद्युत)	1
विशेष सचिव (सतर्कता)	1
विशेष सचिव (जीएडी एंड एआर)	1
सचिव, नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी)	1
अपर आयुक्त, नगर निगम	3
उपायुक्त, नगर निगम	3

(viii) लक्षदीप सरकार के अधीन पद : 3

विकास आयुक्त	1
समाहर्ता-सह-जिला मजिस्ट्रेट	1
सचिव (शिक्षा)	1

(ix) पुदुचेरी सरकार के अधीन पद : 14

मुख्य सचिव	1
सचिव (योजना)-सह-विकास आयुक्त	1
आयुक्त-सह-सचिव (शिक्षा एवं कल्याण)	1
आयुक्त-सह-सचिव (वित्त)	1
सरकार के सचिव	4
रेजीडेन्ट कमीशनर	1
उप राज्यपाल के सचिव	1
मुख्यमंत्री के सचिव	1
समाहर्ता	2
सचिव (सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निवारण)	1

1.	कुल वरिष्ठ झूटी पद	219
2.	केंद्रीय प्रतिनियुक्ति आरक्षित उपरोक्त मद 1 के 40% से अधिक नहीं	87
3.	राज्य प्रतिनियुक्ति आरक्षित उपरोक्त मद 1 के 25% से अधिक नहीं	54
4.	प्रशिक्षण रिजर्व उपरोक्त मद 1 के 3.5% से अधिक नहीं	07
5.	छुट्टी रिजर्व तथा कनिष्ठ पद रिजर्व उपरोक्त के मद 1 16.5% से अधिक नहीं	36
6.	भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियम 1954 के नियम 8 के अंतर्गत पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पद नियम के उपरोक्त मद 1, 2, 3 और 4 के 33 1/3% से अधिक नहीं	122
7.	सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद (मद 1 + 2 + 3 + 4 + 5-6)	281
	कुल प्राधिकृत पद संख्या मद	403

[सं. 11031/02/2016-अ.भा.से-II (क)]

ज्योत्सना गुप्त, अवर सचिव

टिप्पणी-1: इस अधिसूचना के जारी होने से पहले एजीएमयूटी, आईएएस संवर्ग की कुल प्राधिकृत पद संख्या 337 थी।

टिप्पणी-2: प्रधान विनियम दिनांक 22.10.1955 की एस.आर.ओ. सं. 3350, के अंतर्गत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात, भारतीय प्रशासनिक सेवा अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एवं संघ राज्य क्षेत्र संवर्ग के भा.प्र.से. के संदर्भ में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा इन्हें संशोधित किया गया था।

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	प्रकाशन की तारीख	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	प्रकाशन की तारीख
1.	1065	5.10.74	12.	190	26.03.88
2.	92	25.1.75	13.	1224ई	28.12.88
3.	286ई	6.04.76	14.	479	4.8.90
4.	1323	8.10.77	15.	309	2.7.94
5.	1280	28.10.78	16.	319ई	31.03.95
6.	1037	11.8.79	17.	739ई	31.12.97
7.	529ई	8.9.80	18.	339	09.10.04
8.	229	28.2.81	19.	76ई	08.02.2008
9.	446ई	24.5.83	20.	188ई	24.03.2009
10.	775ई	17.11.84	21.	190ई	12.03.2010
11.	1069	13.12.86			

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2018

G.S.R. 818(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) and in pursuance of the order of the Hon'ble High Court of Delhi dated 21.08.2018 in Writ Petition (C) 4817 of 2018, read with sub-rules (1) and (2) of rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Governments of **Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram and all Union Territories**, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of cadre Strength) Second Amendment Regulations, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, in the Schedule, for the heading “**AGMUT**” and the entries relating thereto, the following shall be substituted namely:—

“**ARUNACHAL PRADESH, GOA, MIZORAM AND UNION TERRITORIES**”

Senior Duty Posts under the Governments of Arunachal Pradesh- Goa-Mizoram-Union Territories	219
--	------------

(I) **Posts under the Government of Arunachal Pradesh: 42**

CHIEF SECRETARY	1
COMMISSIONER, AGRICULTURE PRODUCTION AND ALLIED ACTIVITIES	1
PRINCIPAL SECRETARY (FINANCE)	1
PRINCIPAL SECRETARY (HOME & VIGILANCE)	1
COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (PWD/RWD)	1
COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (EDUCATION)	1

COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (POWER & WATER RESOURCES)	1
COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (PERSONNEL)	1
COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (HEALTH)	1
COMMISSIONER INDUSTRIES AND LABOUR AFFAIR	1
PRINCIPAL SECRETARY TO CHIEF MINISTER	1
SECRETARY (SUPPLY & TRANSPORT)	1
SECRETARY (RURAL DEVELOPMENT)	1
SECRETARY TO GOVERNOR	1
REGISTRAR, COOPERATIVE SOCIETIES	1
DIRECTOR (TRANSPORT)	1
DIRECTOR OF CIVIL SUPPLIES	1
DIRECTOR (EDUCATION)	1
DIRECTOR (HEALTH SERVICES)	1
RESIDENT COMMISSIONER	1
DEPUTY COMMISSIONER (DISTRICTS)	22

(II) Posts under the Government of Goa: 23

CHIEF SECRETARY	1
PRINCIPAL SECRETARY (PWD)	1
COMMISSIONER/SECRETARY (FINANCE)	1
COMMISSIONER/SECRETARY (EDUCATION & HEALTH)	1
COMMISSIONER/SECRETARY (INDUSTRIES TRADE & COMMERCE MINES)	1
SECRETARY TO GOVERNOR	1
SECRETARY TO CHIEF MINISTER	1
SECRETARY TO GOVERNMENT	6
COMMISSIONER (VAT)	1
DIRECTOR OF INDUSTRIES AND MINES	1
COLLECTOR/DISTRICT MAGISTRATE	2
COMMISSIONER OF EXCISE	1
DIRECTOR (EDUCATION)	1
DIRECTOR (TOURISM)	1
RESIDENT COMMISSIONER	1
DIRECTOR OF TRANSPORT	1
DIRECTOR , VIGILANCE	1

(III) Posts under the Government of Mizoram: 32

CHIEF SECRETARY	1
DEVELOPMENT COMMISSIONER	1
COMMISSIONER & SECRETARY (FINANCE)	1
COMMISSIONER & SECRETARY (REVENUE)	1
COMMISSIONER & SECRETARY (HOME)	1
COMMISSIONER & SECRETARY (HEALTH & FAMILY WELFARE)	1
COMMISSIONER & SECRETARY (EDUCATION)	1
SECRETARIES	4
SECRETARY TO GOVERNOR	1
SECRETARY TO CHIEF MINISTER	1
REGISTRAR, COOPERATIVE SOCIETIES	1
SPECIAL SECRETARIES	3
DIRECTOR (FOOD & SUPPLY)	1
DIRECTOR (INDUSTRIES)	1
DIRECTOR (EDUCATION)	1
DEPUTY COMMISSIONERS (DISTRICTS)	8
RESIDENT COMMISSIONER	1

DIRECTOR, ATI	1
DIRECTOR, SOCIAL WELFARE	1
DIRECTOR, HIGHER & TECHNICAL EDUCATION	1

(IV) Posts under the Government of Andaman & Nicobar Administration: 15

CHIEF SECRETARY	1
DEVELOPMENT COMMISSIONER	1
COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (FINANCE)	1
COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (SHIPPING AND TRANSPORT)	1
SECRETARY TO LT. GOVERNOR	1
DEPUTY COMMISSIONER (DISTRICTS)	3
SECRETARY (PERSONNEL)	1
SECRETARY (TOURISM)	1
SECRETARY (HEALTH)	1
SECRETARY (EDUCATION)	1
SECRETARY (RD/LSG & PWD)	1
RESIDENT COMMISSIONER	1
SECRETARY (REVENUE, AGRICULTURE/FISHERIES/AH&VS/TRIBAL WEL.WARE)	1

(V) Posts under the Chandigarh Administration: 9

ADVISOR TO THE ADMINISTRATOR, CHANDIGARH	1
SECRETARY (HOME)	1
SECRETARY (FINANCE)	1
DEPUTY COMMISSIONER (DISTRICTS)	1
JOINT SECRETARY (FINANCE)	1
SECRETARIES	2
ADDITIONAL SECRETARY	1
ADDITIONAL DEPUTY COMMISSIONER	1

(VI) Posts under the Government of Dadra & Nagar Haveli, Daman & Diu: 6

DEVELOPMENT COMMISSIONER	1
FINANCE SECRETARY	1
COLLECTOR/DISTRICT MAGISTRATE (DAMAN, DIU AND DADRA & NAGAR HAVELI)	3
SECRETARY(EDUCATION)	1

(VII) Posts under the Government of National Capital Territory of Delhi: 75

CHIEF SECRETARY	1
FINANCIAL COMMISSIONER	1
PRINCIPAL SECRETARY (HOME)	1
PRINCIPAL SECRETARY (FINANCE)	1
PRINCIPAL SECRETARY (UD)	1
PRINCIPAL SECRETARY (HEALTH & F.W)	1
PRINCIPAL SECRETARY (PWD)	1
PRINCIPAL SECRETARY (TRANSPORT)	1
PRINCIPAL SECRETARY (EDUCATION)	1
CHAIRMAN, DSSSB	1
PRINCIPAL SECRETARY TO LG	1
PRINCIPAL SECRETARY TO CM	1
PRINCIPAL SECRETARY(PERSONNEL & TRAINING)	1
PRINCIPAL SECRETARY(GAD & AR)	1
CHAIRMAN, NDMC	1
COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (ENVIRONMENT AND FOREST & NON-CONVENTIONAL ENERGY)	1
COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (ART & CULTURE)	1

COMMISSIONER & SECRETARY (DEVELOPMENT)	1
COMMISSIONER & SECRETARY (INDUSTRIES)	1
COMMISSIONER & SECRETARY (FOOD & SUPPLY)	1
COMMISSIONER & SECRETARY (PLANNING & INFRASTRUCTURE)	1
COMMISSIONER & SECRETARY (I & FC)	1
DIVISIONAL COMMISSIONER-CUM-SECRETARY(REVENUE)	1
DIRECTOR, VIGILANCE	1
DIRECTOR OF EDUCATION	1
COMMISSIONER (TRADES AND TAXES)	1
COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (HEALTH & FW)	1
COMMISSIONER CUM SECRETARY(HIGHER EDUCATION & TTE)	1
COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (SOCIAL WELFARE AND WOMEN & CHILD DEVELOPMENT)	1
COMMISSIONER (EXCISE & ENTERTAINMENT)	1
SECRETARY-CUM-LABOUR COMMISSIONER	1
SPECIAL COMMISSIONER (TRANSPORT)	1
SPECIAL COMMISSIONER (TRADE & TAXES)	2
CHIEF ELECTORAL OFFICER	1
INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION (REVENUE DEPARTMENT)	1
REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES	1
DIRECTOR (TRAINING & TECHNICAL EDUCATION)	1
DIRECTOR (HIGHER EDUCATION)	1
CEO (DISASTER MANAGEMENT)	1
COMMISSIONER-CUM-SECRETARY(Finance)	1
COMMISSIONER-CUM-SECRETARY(Power)	1
COMMISSIONER , MUNICIPAL CORPORATION	3
Deputy COMMISSIONER (DISTRICTS)	6
DIRECTOR OF TRAINING (UTCS)	1
DIRECTOR OF SOCIAL WELFARE	1
DIRECTOR OF AGRICULTURAL MARKETING	1
SPECIAL SECRETARY (FINANCE)	1
ADDITIONAL DIRECTOR OF EDUCATION (ADMN.)	1
SPECIAL SECRETARY (HEALTH)	1
SPECIAL SECRETARY (PERSONNEL)	1
SPECIAL SECRETARY (NCR)	1
SPECIAL SECRETARY (UD)	1
SPECIAL SECRETARY (PWD)	1
SPECIAL SECRETARY TO LG	1
DIRECTOR, WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT	1
SPECIAL SECRETARY(HOME)	1
SPL. COMMISSIONER(FOOD SAFETY)	1
SPECIAL SECRETARY(POWER)	1
SPECIAL SECRETARY (VIGILANCE)	1
SPECIAL SECRETARY (GAD&AR)	1
SECRETARY, NEW DELHI MUNICIPAL CORPORATION (NDMC)	1
ADDITIONAL COMMISSIONER, MUNICIPAL CORPORATION	3
DEPUTY COMMISSIONER, MUNICIPAL CORPORATION	3

(VIII) Posts under the Government of Lakshadweep: 3

DEVELOPMENT COMMISSIONER	1
COLLECTOR-CUM-DISTRICT MAGISTRATE	1
SECRETARY(EDUCATION)	1

(IX) Posts under the Government of Pudducherry: 14

CHIEF SECRETARY	1
SECRETARY (PLANNING)-CUM-DEVELOPMENT COMMISSIONER	1

COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (EDUCATION AND WELFARE)	1
COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (FINANCE)	1
SECRETARIES TO GOVERNMENT	4
RESIDENT COMMISSIONER	1
SECRETARY TO LT. GOVERNOR	1
SECRETARY TO CHIEF MINISTER	1
COLLECTORS	2
SECRETARY(VIGILANCE & ANTI CORRUPTION)	1

1	Total Senior Duty Posts	219
2.	Central Deputation Reserve not exceeding 40% of Item 1 above	87
3.	State Deputation Reserve not exceeding 25% of Item 1 above	54
4.	Training Reserve not exceeding 3.5% of Item 1 above	7
5.	Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above	36
6.	Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of Item 1,2,3 & 4 above	122
7.	Posts to be filled up by Direct Recruitment (Item 1+2+3+4+5-6)	281
	Total Authorised Strength (Item 6+7 above)	403

[No.11031/02/2016 - AIS-II (A)]
JYOTSNA GUPTA, Under Secy.

Note-1: Prior to the issue of this Notification, the total Authorized Strength of the IAS cadre of AGMUT was 337.

Note-2: The principal regulations were published in the Gazette of India vide SRO No. 3350 dated 22nd October 1955. These were subsequently amended in respect of the Arunachal Pradesh-Goa-Mizoram-Union Territories Cadre of Indian Administrative Service by the following GSR No. and dates:-

S.No.	GSR No.	DATE	S.No.	GSR No.	DATE
1.	1065	5.10.74,	12.	190	26.03.88
2.	92	25.1.75	13.	1224E	28.12.88
3.	286E	6.4.76	14.	479	4.8.90
4.	1323	8.10.77	15.	309	2.7.94
5.	1280	28.10.78	16.	319E	31.03.95
6.	1037	11.8.79	17.	739E	31.12.97
7.	529E	8.9.80	18.	339	09.10.04
8.	229	28.2.81	19.	76E	08.02.2008
9.	446E	24.5.83	20.	188E	24.03.2009
10.	775E	17.11.84	21.	190E	12.03.2010
11.	1069	13.12.86			

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2018

सा.का.नि. 819 (अ).— अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 2018 की रिट याचिका (सी) 4817 में दिनांक 21.08.2018 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुपालन में केंद्र सरकार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एवं सभी संघ राज्य क्षेत्र सरकार के परामर्श से एतद्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (i) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) द्वितीय संशोधन नियम, 2018 कहा जाएगा.

(ii) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे

2. ये भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 अनुसूची-II में:-

भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2016 की अनुसूची के भाग-क में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा में वरिष्ठ वेतनमान से ऊपर वेतन वाले पदों में पहले कॉलम में "एजीएमयूटी" प्रविष्टि और दूसरे कॉलम में समानरूपी प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"अरूणाचल प्रदेश

मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
आयुक्त, कृषिउत्पादन एवं संबद्ध गतिविधियां	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान सचिव (वित्त)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान सचिव (गृह एवं सतर्कता)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
आयुक्त-सह-सचिव (पीडब्ल्यूडी/आरडब्ल्यूडी)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त-सह-सचिव (शिक्षा)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त-सह-सचिव (ऊर्जा एवं जल संसाधन)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त-सह-सचिव (कार्मिक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त-सह-सचिव (स्वास्थ्य)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, उद्योग एवं श्रम मामले	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14

गोवा

मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
प्रधान सचिव (पीडब्ल्यूडी)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
आयुक्त/सचिव (वित्त)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त/सचिव (शिक्षा एवं स्वास्थ्य)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त/सचिव (उद्योग, व्यापार एवं वाणिज्य, खनन)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14

मिजोरम

मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
विकास आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
आयुक्त एवं सचिव (वित्त)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त एवं सचिव (राजस्व)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त एवं सचिव (गृह)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त एवं सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त एवं सचिव (शिक्षा)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14

अंडमान और निकोबार

मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
विकास आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त-सह-सचिव (वित्त)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त-सह-सचिव (शिपिंग और परिवहन)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14

चंडीगढ़ प्रशासन

प्रशासक के सलाहकार, चंडीगढ़	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
सचिव (गृह)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सचिव, (वित्त)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14

दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव

विकास आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
वित्त सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14

दिल्ली

मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
वित्त आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
प्रधान सचिव (गृह)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
प्रधान सचिव (वित्त)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान सचिव (शहरी विकास)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान सचिव (लोक निर्माण विभाग)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान सचिव (परिवहन)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान सचिव (शिक्षा)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
अध्यक्ष, डीएसएसएसबी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
उपराज्यपाल के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान सचिव (कार्मिक एवं प्रशिक्षण)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
प्रधान सचिव (जीएडी एंड एआर)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
अध्यक्ष, एनडीएमसी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
आयुक्त-सह-सचिव (पर्यावरण तथा वन एवं गैर-परंपरागत ऊर्जा)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त-सह-सचिव (कला एवं संस्कृति)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त एवं सचिव (विकास)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त एवं सचिव (उद्योग)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त एवं सचिव (खाद्य एवं आपूर्ति)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त एवं सचिव (योजना एवं आधारभूत संरचना)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त एवं सचिव (आई एंड एफसी)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
प्रभागीय आयुक्त-सह-सचिव (राजस्व)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
निदेशक, सतर्कता	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
निदेशक, शिक्षा	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त (व्यापार एवं कर)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त-सह-सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त-सह-सचिव (उच्च शिक्षा एवं टीटीई)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त-सह-सचिव (समाज कल्याण और महिला एवं बाल विकास)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त (कर एवं मनोरंजन)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सचिव-सह-श्रम आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
विशेष आयुक्त (परिवहन)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
विशेष आयुक्त (व्यापार एवं कर)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मुख्य निर्वाचन अधिकारी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
महा निरीक्षक पंजीयन (राजस्व विभाग)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
पंजीयक, सहकारी समिति	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
निदेशक (प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
निदेशक (उच्च शिक्षा)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सीईओ (आपदा प्रबंधन)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त-सह-सचिव (वित्त)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त-सह-सचिव (विद्युत)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, नगर निगम	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14

लक्षदीप

विकास आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
--------------	----------------------------

पुदुचेरी

मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
सचिव (योजना)-सह-विकास आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त-सह-सचिव (शिक्षा एवं कल्याण)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त-सह-सचिव (वित्त)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14

(ख) खंड-ख में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में एजीएमयूटी प्रविष्टि के लिए वरिष्ठता वेतनमान के वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

अरुणाचल प्रदेश

सचिव (आपूर्ति एवं परिवहन)
सचिव (ग्रामीण विकास)
राज्यपाल के सचिव
पंजीयक, सहकारी समितियां
निदेशक (परिवहन)
निदेशक, नागरिक आपूर्ति
निदेशक (शिक्षा)
निदेशक (स्वास्थ्य सेवाएं)
रेजीडेंट कमीशनर
उपायुक्त (जिला)

गोवा

राज्यपाल के सचिव
मुख्य मंत्री के सचिव
सरकार के सचिव
आयुक्त (वैट)
उद्योग एवं खनन निदेशक
समाहर्ता/जिला मजिस्ट्रेट
उत्पाद आयुक्त
निदेशक (शिक्षा)
निदेशक (पर्यटन)
रेजीडेंट आयुक्त
परिवहन निदेशक
निदेशक, सतर्कता

मिज़ोरम

सचिव
राज्यपाल के सचिव
मुख्य मंत्री के सचिव
पंजीयक, सहकारी समितियां
विशेष सचिव
निदेशक (खाद्य एवं पूर्ति)
निदेशक (उद्योग)
निदेशक (शिक्षा)
उपायुक्त (जिला)
रेजीडेंट कमीशनर
निदेशक, एटीआई
निदेशक, समाज कल्याण
निदेशक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा

अंडमान और निकोबार प्रशासन

उप राज्यपाल के सचिव
उप आयुक्त (जिला)
सचिव (कार्मिक)

सचिव (पर्यटन)
सचिव (स्वास्थ्य)
सचिव (शिक्षा)
सचिव (आरडी/एलएसजी एंड पीडब्ल्यूडी)
रेजीडेंट कमीशनर
सचिव (राजस्व, कृषि/मत्स्य पालन/एएच एवं वीएस/जनजाति कल्याण)

चंडीगढ़

उपायुक्त (जिला)
संयुक्त सचिव (वित्त)
सचिव
अपर सचिव
अपर उपायुक्त

दादरा और नागर हवेली, दमन एवं दीव

समाहर्ता/जिला मजिस्ट्रेट (दमन, दीव और दादरा एवं नागर हवेली)
सचिव (शिक्षा)

दिल्ली

उपायुक्त (जिला)
प्रशिक्षण निदेशक (यूटीसीएस)
समाज कल्याण निदेशक
कृषि विपणन निदेशक
विशेष सचिव (वित्त)
अपर शिक्षा निदेशक (प्रशासन)
विशेष सचिव (स्वास्थ्य)
विशेष सचिव (कार्मिक)
विशेष सचिव (एनसीआर)
विशेष सचिव (शहरी विकास)
विशेष सचिव (लोक निर्माण विभाग)
उप राज्यपाल के विशेष सचिव
निदेशक, महिला एवं बाल विकास
विशेष सचिव (गृह)
विशेष आयुक्त (खाद्य सुरक्षा)
विशेष सचिव (विद्युत)
विशेष सचिव (सतर्कता)
विशेष सचिव (जीएडी एंड एआर)
सचिव, नई दिल्ली नगर निगम (एनडीएमसी)
अपर आयुक्त, नगर निगम
उपायुक्त, नगर निगम

लक्षदीप

समाहर्ता-सह-जिला मजिस्ट्रेट
सचिव (शिक्षा)

पुदुचेरी

सरकार के सचिव
रेजीडेंट कमीशनर
उप राज्यपाल के सचिव
मुख्यमंत्री के सचिव
समाहर्ता
सचिव (सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निवारण)

[सं. 11031/02/2016-अ.भा.से-II (ख)]

ज्योत्सना गुप्त, अवर सचिव

टिप्पणी : प्रधान नियम भारत के असाधारण राजपत्र के दिनांक 08 सितम्बर, 2016 की संख्या जीएसआर 870(अ) द्वारा अधिसूचित किए गए थे और निम्नलिखित जीएसआर और तारीख द्वारा अधिसूचित किए गए थे :-

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	तारीख
1.	1062 (अ)	10.11.2016
2.	1178(अ)	27.12.2016
3.	1194(अ)	30.12.2016
4.	575(अ)	12.06.2017
5.	1382(अ)	10.11.2017
6.	1429(अ)	17.11.2017
7.	1585(अ)	22.12.2017
8.	566(अ)	15.06.2018

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2018

G.S.R. 819(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) and in pursuance of the order of the Hon'ble High Court of Delhi dated 21.08.2018 in Writ Petition (C) 4817 of 2018, the Central Government, in consultation with the Governments of Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram and all Union Territories, hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, namely: —

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Second Amendment Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, in schedule II,—

in Part A relating to posts carrying pay above the senior scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments, in the table, for the entry "AGMUT" occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

"ARUNACHAL PRADESH

CHIEF SECRETARY	Level 17 in the Pay Matrix
COMMISSIONER, AGRICULTURE PRODUCTION AND ALLIED ACTIVITIES	Level 15 in the Pay Matrix
PRINCIPAL SECRETARY (FINANCE)	Level 15 in the Pay Matrix
PRINCIPAL SECRETARY (HOME & VIGILANCE)	Level 15 in the Pay Matrix
COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (PWD/RWD)	Level 14 in the Pay Matrix
COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (EDUCATION)	Level 14 in the Pay Matrix
COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (POWER & WATER RESOURCES)	Level 14 in the Pay Matrix
COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (PERSONNEL)	Level 14 in the Pay Matrix
COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (HEALTH)	Level 14 in the Pay Matrix
COMMISSIONER INDUSTRIES AND LABOUR AFFAIR	Level 14 in the Pay Matrix
PRINCIPAL SECRETARY TO CHIEF MINISTER	Level 14 in the Pay Matrix

GOA

CHIEF SECRETARY	Level 17 in the Pay Matrix
PRINCIPAL SECRETARY (PWD)	Level 15 in the Pay Matrix
COMMISSIONER/SECRETARY (FINANCE)	Level 14 in the Pay Matrix
COMMISSIONER/SECRETARY (EDUCATION & HEALTH)	Level 14 in the Pay Matrix

COMMISSIONER/SECRETARY (INDUSTRIES TRADE & COMMERCE MINES)	Level 14 in the Pay Matrix
--	----------------------------

MIZORAM

CHIEF SECRETARY	Level 17 in the Pay Matrix
DEVELOPMENT COMMISSIONER	Level 15 in the Pay Matrix
COMMISSIONER & SECRETARY (FINANCE)	Level 14 in the Pay Matrix
COMMISSIONER & SECRETARY (REVENUE)	Level 14 in the Pay Matrix
COMMISSIONER & SECRETARY (HOME)	Level 14 in the Pay Matrix
COMMISSIONER & SECRETARY (HEALTH & FAMILY WELFARE)	Level 14 in the Pay Matrix
COMMISSIONER & SECRETARY (EDUCATION)	Level 14 in the Pay Matrix

ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION

CHIEF SECRETARY	Level 15 in the Pay Matrix
DEVELOPMENT COMMISSIONER	Level 14 in the Pay Matrix
COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (FINANCE)	Level 14 in the Pay Matrix
COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (SHIPPING AND TRANSPORT)	Level 14 in the Pay Matrix

CHANDIGARH ADMINISTRATION

ADVISOR TO THE ADMINISTRATOR, CHANDIGARH	Level 15 in the Pay Matrix
SECRETARY (HOME)	Level 14 in the Pay Matrix
SECRETARY (FINANCE)	Level 14 in the Pay Matrix

DADRA & NAGAR HAVELI, DAMAN & DIU

DEVELOPMENT COMMISSIONER	Level 14 in the Pay Matrix
FINANCE SECRETARY	Level 14 in the Pay Matrix

DELHI

CHIEF SECRETARY	Level 17 in the Pay Matrix
FINANCIAL COMMISSIONER	Level 17 in the Pay Matrix
PRINCIPAL SECRETARY (HOME)	Level 17 in the Pay Matrix
PRINCIPAL SECRETARY (FINANCE)	Level 15 in the Pay Matrix
PRINCIPAL SECRETARY (UD)	Level 15 in the Pay Matrix
PRINCIPAL SECRETARY (HEALTH & F.W)	Level 15 in the Pay Matrix
PRINCIPAL SECRETARY (PWD)	Level 15 in the Pay Matrix
PRINCIPAL SECRETARY (TRANSPORT)	Level 15 in the Pay Matrix
PRINCIPAL SECRETARY (EDUCATION)	Level 15 in the Pay Matrix
CHAIRMAN, DSSSB	Level 15 in the Pay Matrix
PRINCIPAL SECRETARY TO LG	Level 15 in the Pay Matrix
PRINCIPAL SECRETARY TO CM	Level 15 in the Pay Matrix
PRINCIPAL SECRETARY (PERSONNEL & TRAINING)	Level 15 in the Pay Matrix
PRINCIPAL SECRETARY (GAD & AR)	Level 15 in the Pay Matrix
CHAIRMAN, NDMC	Level 15 in the Pay Matrix
COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (ENVIRONMENT AND FOREST & NON-CONVENTIONAL ENERGY)	Level 14 in the Pay Matrix

COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (ART & CULTURE)	Level 14 in the Pay Matrix
COMMISSIONER & SECRETARY (DEVELOPMENT)	Level 14 in the Pay Matrix
COMMISSIONER & SECRETARY (INDUSTRIES)	Level 14 in the Pay Matrix
COMMISSIONER & SECRETARY (FOOD & SUPPLY)	Level 14 in the Pay Matrix
COMMISSIONER & SECRETARY (PLANNING & INFRASTRUCTURE)	Level 14 in the Pay Matrix
COMMISSIONER & SECRETARY (I & FC)	Level 14 in the Pay Matrix
DIVISIONAL COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (REVENUE)	Level 14 in the Pay Matrix
DIRECTOR, VIGILANCE	Level 14 in the Pay Matrix
DIRECTOR OF EDUCATION	Level 14 in the Pay Matrix
COMMISSIONER (TRADES AND TAXES)	Level 14 in the Pay Matrix
COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (HEALTH & FW)	Level 14 in the Pay Matrix
COMMISSIONER CUM SECRETARY (HIGHER EDUCATION & TTE)	Level 14 in the Pay Matrix
COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (SOCIAL WELFARE AND WOMEN & CHILD DEVELOPMENT)	Level 14 in the Pay Matrix
COMMISSIONER (EXCISE & ENTERTAINMENT)	Level 14 in the Pay Matrix
SECRETARY-CUM-LABOUR COMMISSIONER	Level 14 in the Pay Matrix
SPECIAL COMMISSIONER (TRANSPORT)	Level 14 in the Pay Matrix
SPECIAL COMMISSIONER (TRADE & TAXES)	Level 14 in the Pay Matrix
CHIEF ELECTORAL OFFICER	Level 14 in the Pay Matrix
INSPECTOR GENERAL OF REGISTRATION (REVENUE DEPARTMENT)	Level 14 in the Pay Matrix
REGISTRAR COOPERATIVE SOCIETIES	Level 14 in the Pay Matrix
DIRECTOR (TRAINING & TECHNICAL EDUCATION)	Level 14 in the Pay Matrix
DIRECTOR (HIGHER EDUCATION)	Level 14 in the Pay Matrix
CEO (DISASTER MANAGEMENT)	Level 14 in the Pay Matrix
COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (FINANCE)	Level 14 in the Pay Matrix
COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (POWER)	Level 14 in the Pay Matrix
COMMISSIONER, MUNICIPAL CORPORATION	Level 14 in the Pay Matrix

LAKSHADWEEP

DEVELOPMENT COMMISSIONER	Level 14 in the Pay Matrix
--------------------------	----------------------------

PUDUCHERRY

CHIEF SECRETARY	Level 15 in the Pay Matrix
SECRETARY (PLANNING)-CUM-DEVELOPMENT COMMISSIONER	Level 14 in the Pay Matrix
COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (EDUCATION AND WELFARE)	Level 14 in the Pay Matrix
COMMISSIONER-CUM-SECRETARY (FINANCE)	Level 14 in the Pay Matrix

(b) In Schedule-II B, Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay in the Time Scale for the entry AGMUT, the following shall be substituted, namely:-

ARUNACHAL PRADESH

SECRETARY (SUPPLY & TRANSPORT)
SECRETARY (RURAL DEVELOPMENT)
SECRETARY TO GOVERNOR
REGISTRAR, COOPERATIVE SOCIETIES
DIRECTOR (TRANSPORT)
DIRECTOR OF CIVIL SUPPLIES
DIRECTOR (EDUCATION)
DIRECTOR (HEALTH SERVICES)
RESIDENT COMMISSIONER
DEPUTY COMMISSIONER (DISTRICTS)

GOA

SECRETARY TO GOVERNOR
SECRETARY TO CHIEF MINISTER
SECRETARY TO GOVERNMENT
COMMISSIONER (VAT)
DIRECTOR OF INDUSTRIES AND MINES
COLLECTOR/DISTRICT MAGISTRATE
COMMISSIONER OF EXCISE
DIRECTOR (EDUCATION)
DIRECTOR (TOURISM)
RESIDENT COMMISSIONER
DIRECTOR OF TRANSPORT
DIRECTOR , VIGILANCE

MIZORAM

SECRETARIES
SECRETARY TO GOVERNOR
SECRETARY TO CHIEF MINISTER
REGISTRAR, COOPERATIVE SOCIETIES
SPECIAL SECRETARIES
DIRECTOR (FOOD & SUPPLY)
DIRECTOR (INDUSTRIES)
DIRECTOR (EDUCATION)
DEPUTY COMMISSIONERS (DISTRICTS)
RESIDENT COMMISSIONER
DIRECTOR, ATI
DIRECTOR, SOCIAL WELFARE
DIRECTOR, HIGHER & TECHNICAL EDUCATION

ANDAMAN & NICOBAR ADMINISTRATION

SECRETARY TO LT. GOVERNOR
DEPUTY COMMISSIONER (DISTRICTS)
SECRETARY (PERSONNEL)
SECRETARY (TOURISM)
SECRETARY (HEALTH)
SECRETARY (EDUCATION)
SECRETARY (RD/LSG & PWD)
RESIDENT COMMISSIONER
SECRETARY (REVENUE, AGRICULTURE/FISHERIES/AH&VS/TRIBAL WELFARE)

CHANDIGARH ADMINISTRATION:

DEPUTY COMMISSIONER (DISTRICTS)
JOINT SECRETARY (FINANCE)
SECRETARIES
ADDITIONAL SECRETARY
ADDITIONAL DEPUTY COMMISSIONER

DADRA & NAGAR HAVELI, DAMAN & DIU

COLLECTOR/DISTRICT MAGISTRATE (DAMAN, DIU AND DADRA & NAGAR HAVELI)
SECRETARY(EDUCATION)

DELHI

Deputy COMMISSIONER (DISTRICTS)
DIRECTOR OF TRAINING (UTCS)
DIRECTOR OF SOCIAL WELFARE
DIRECTOR OF AGRICULTURAL MARKETING
SPECIAL SECRETARY (FINANCE)
ADDITIONAL DIRECTOR OF EDUCATION (ADMN.)
SPECIAL SECRETARY (HEALTH)

SPECIAL SECRETARY (PERSONNEL)
SPECIAL SECRETARY (NCR)
SPECIAL SECRETARY (UD)
SPECIAL SECRETARY (PWD)
SPECIAL SECRETARY TO LG
DIRECTOR, WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT
SPECIAL SECRETARY(HOME)
SPL. COMMISSIONER(FOOD SAFETY)
SPECIAL SECRETARY(POWER)
SPECIAL SECRETARY (VIGILANCE)
SPECIAL SECRETARY (GAD&AR)
SECRETARY, NEW DELHI MUNICIPAL CORPORATION (NDMC)
ADDITIONAL COMMISSIONER, MUNICIPAL CORPORATION
DEPUTY COMMISSIONER, MUNICIPAL CORPORATION

LAKSHADWEEP

COLLECTOR-CUM-DISTRICT MAGISTRATE
SECRETARY(EDUCATION)

PUDUCHERRY

SECRETARIES TO GOVERNMENT
RESIDENT COMMISSIONER
SECRETARY TO LT. GOVERNOR
SECRETARY TO CHIEF MINISTER
COLLECTORS
SECRETARY(VIGILANCE & ANTI CORRUPTION) "

[No.11031/02/2016 - AIS-II (B)]

JYOTSNA GUPTA, Under Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number GSR 870 (E) dated the 08th September, 2016 and subsequently amended by the following GSR No. and date:-

Sl.No.	GSR No.	Date
1.	1062 (E)	10.11.2016
2.	1178(E)	27.12.2016
3.	1194(E)	30.12.2016
4.	575(E)	12.06.2017
5.	1382(E)	10.11.2017
6.	1429(E)	17.11.2017
7.	1585(E)	22.12.2017
8.	566(E)	15.06.2018